बालिकाओं के लिए किये जा रहे प्रयास

माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के लिए किये जा रहे अन्य प्रयासों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्ति
2. कक्षा 1 से 12 तक की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण ।
3. राज्य में 301राजकीय माध्यमिक एंव 504 राजकीय उमावि. तथा गैर सरकारी स्तर 94 माध्यमिक विद्यालय एवं 154 उमावि बालिकाओं के लिए संचालित ।
4. राज्य में ग्रामीण क्षैत्र की बालिकाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा विभाग के सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50–50 की क्षमता के 6 बालिका छात्रावास निर्मित हैं । राज्य के 32 जिलों में से 31 जिला मुख्यालयो पर बालिका छात्रावास निर्मित है

राज्य में संचालित बालिका छात्रावासों की स्थिति :–

क्र0स0	छात्रावास	छात्रा संख्या
1	उदयपुर	83
2	डूंगरपुर	70
3	जयपुर	25
4	दौसा	37
5	सीकर	37
6	अलवर	40
7	धौलपुर	32
8	श्रीगंगानगर	70
9	झुन्झुनू	46
10	बून्दी	30
11	बारां	36
12	जोधपुर	10
13	बाड़मेर	62
14	पांली	15
15	बांसवाड़ा	50
16	बीकानेर	27
17	नागौर	15

5. **(अ) गार्गी पुरस्कार** :– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में कुल 75 प्रतिशत व इससे अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाली समस्त छात्राओं को दो वर्ष तक कक्षा 11–12 में नियमित अध्ययन हेतु 1,000 रूपये प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि देने की ''गार्गी पुरस्कार'' योजना सत्र 1997–98 में आरम्भ की गई । वर्ष 2008–09 की बजट घोषणा में राशि रूपये 1000/– से बढाकर रूपये 1500/– करदी गई है। वर्ष 2009–10 में 17761 छात्राए लाभान्वित होंगी तथा रूपये 26641500/– व्यय किए जायेगे। परीक्षा परिणा संशोधन होने पर भी बाद में शेष छात्राओं को पुरस्कृत किया जातो है। पुरस्कार समारोह 9 मार्च, 2010 को किया जायेगा।

(ब) 12 वीं उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार :– वर्ष 2008–09 की बजट घोषणा में 12 वी कक्षा में राजकीय गैर राजकीय अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं जिनके 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त हो उनको एकमुश्त 3000/– रूपये का प्रात्साहन पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया। वर्ष 2009–10 में 3278 छात्राएं प्रोत्साहन पुरस्कार से लाभान्वित होंगी। इस हेतु 9834000/– रूपये व्यय किए जायेगे। पुरस्कार समारोह 9 मार्चख 2010 को किया जायेगा।

6. **(अ)साईकिल वितरण :** बालिकाओं को साईकिल वितरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थाई रुप से निवास करने वाली एवं कक्षा 9 उतीर्ण कर कक्षा 10 में राजकीय विद्यालयो में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को ही साईकिल वितरण की योजना दिनांक 01.07.2007 से लागू की गई। इस योजना में छात्राओं द्वारा 300 रुपये प्रति छात्रा लाभार्थी अंशदान सम्मिलित कर साईकिल की शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। छात्रा के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किमी से कम न हो तथा 5 किमी से अधिक नहीं होने पर ही यह सुविधा दी जावेगी। राज्य सरकार द्वारा एक नई साईकिल उपलब्ध करने के लिए वर्ष 2009–10 में 41053 साईकिलो का क्रय आदेश दिया जा चुका है। इस हेतु चाले वर्ष के बजट 500 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। साईकिल वितरण कार्य प्रक्रियाधीन है।

वर्ष 2009–10 में साईकिल वितरण हेतु पात्र छात्राओं की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	पात्र छात्राओं की संख्या		
		माध्यमिक शिक्षा	संस्कृत शिक्षा	योग
1	जयपुर–I	1687	344	2031
2	जयपुर–II	3818	0	3818
3	अलवर–I	1427	7	1434
4	अलवर–II	1355	0	1355
5	सीकर–I	810	21	831
6	सीकर–II	1508	94	1602
7	दौसा	2574	97	2671
8	चूरू	331	15	346
9	बीकानेर	549	15	564
10	श्रीगंगानगर	645	0	645
11	हनुमानगढ	681	0	681
12	झून्झूनू	1383	6	1389
13	जोधपुर	1795	17	1812
14	पाली	564	8	572
15	सिरोही	117	2	119
16	जालौर	750	22	772
17	बाड़मेर	2063	34	2097
18	जैसलमेर	72	0	72
19	उदयपुर–I	605	0	605

20	उदयपुर–II	1604	38	1642
21	बांसवाड़ा	3251	39	3290
22	डूंगरपुर	3336	41	3377
23	चित्तोड़गढ	1020	22	1042
24	राजसमन्द	530	2	532
25	कोटा	251	3	254
26	बून्दी	315	0	315
27	बांरा	600	0	600
28	झालावाड़	677	0	677
29	अजमेर–I	201	0	201
30	अजमेर–II	178	1	179
31	भीलवाड़ा–I	297	0	297
32	भीलवाड़ा–II	363	0	363
33	नागौर–I	1164	11	1175
34	नागौर–II	559	3	562
35	टोक	758	2	760
36	भरतपुर–I	313	13	326
37	भरतपुर–II	328	0	328
38	धोलपुर	873	4	877
39	करौली	358	0	358
40	सवाई माधोपुर	465	17	482
कुल योग :		40175	878	41053

(ब) ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीमः ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 9 से 12 तक राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्रा के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 कि0मी0 से अधिक होने पर एक अथवा समूह के रूप में परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारम्भ है जिसके अन्तर्गत 5 रूपये प्रति विद्यालय दिवस प्रति छात्रा ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाता है। इस कार्य हेतु वर्ष 2009–10 में 300 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। विद्यालयों की मांग के अनुरूप बजट राशि 198.50 लाख आवंटित कर दिए गये है। शेष राशि जिला शिक्षा अधिकारी/विद्यालयों की मांग पर उपलब्ध करवादी जायेगी। दिनांक 31/12/2009 तक 26858 छात्राए लाभान्वित हो चुकी है।

ट्रास्पोर्ट वाउचर स्कीम 2009–10

क्र0स0	जिल का नाम	सम्मिलित विद्यालय	लाभान्वित छात्राएं
1	अजमेर–I	15	338
2	अजमेर–II	22	981
3	भीलवाड़ा–I	18	219
4	भीलवाड़ा–II	18	505
5	नागौर–I	12	429

6	नागौर–II	16	377
7	टोंक	24	734
8	बीकानेर	19	367
9	चूरू	5	65
10	श्रीगंगानगर	41	1039
11	हनुमानगढ	31	1125
12	झून्झूनू	4	90
13	जयपुर–I	30	1670
14	जयपुर–II	63	2597
15	अलवर–I	15	413
16	अलवर–II	16	459
17	भरतपुर–I	8	386
18	भरतपुर–II	5	205
19	सीकर–I	15	990
20	सीकर–II	14	990
21	दौसा	8	387
22	धोलपुर	5	217
23	जोधपुर	38	1129
24	पाली	47	1078
25	सिरोही	18	252
26	जालौर	47	1078
27	बाड़मेर	38	600
28	जैसलमेर	10	60
29	कोटा	18	582
30	बून्दी	8	150
31	बांरा	11	441
32	झालावाड़	13	261
33	करौली	1	5
34	सवाई माधोपुर	10	150
35	उदयपुर–I	11	716
36	उदयपुर–II	70	2134
37	बांसवाड़ा	62	1950
38	डूंगरपुर	25	780
39	चित्तोड़गढ	20	550
40	राजसमन्द	14	359
योग :–		**865**	**26858**

7. **पन्नाधाय जीवन अमृत योजना :–** ''पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के अन्तर्गत समस्त बी.पी.एल. परिवारों के आश्रित एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो बच्चों को जीवन बीमा निगम द्वारा प्रति तिमाही 300/– रुपये वार्षिक 1200/– रुपये छात्रवृत्ति के रुप मे भुगतान किया जाता है। आवेदन पत्र संस्था प्रधानों / नगर निगम/ सम्बन्धित पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये जाते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित निकाय/ पंचायत में जमा करवाये जाते हैं तथा छात्रवृति जीवन बीमा निगम द्वारा संस्था प्रधानों के माध्यम से बच्चो को उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना का नॉडल विभाग सामाजिक न्यायय एवं अधिकारिता विभाग है। वर्ष 2009–10 में अब तक लाभान्वित छात्राओं का विवरण निम्नानुसार है :–

पात्र छात्र/छात्राओं की संख्या	प्रेषित किए गये आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या	भुगतान की गयी राशि
45038	**45038**	**4511**	**4511**	**296400**

8. **विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना :–** कक्षा 9 से 12 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए सत्र 2009–10 में सामुहिक बीमा पत्र जारी करने हेतु एवं सामुहिक बीमा नवीनीकरण पत्र जारी करने हेतु 96 लाख रूपये निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को जमा करवाये गये है। इस हेतु अध्ययनरत प्रति छात्र से 10 रूपये एवं छात्रा से 5 रूपये वसूल किए जाते है। यह राशि सेवा कर सहित है। प्रतिवर्ष नवीनकरण की तिथी 14 नवम्बर है।

9. **छात्राओं के लिए एफ0डी0आर0 योजना :–** कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को 8 वीं उत्तीर्ण करने पर निम्नानुसार एफ0डी0आर0 दिए जाने की योजना सत्र 2007–08 से प्रारम्भ की गई थी जो इस प्रकार थी :–

क्र0स0	अध्ययन के दौरान	राशि	अवधि
1	कक्षा 8वी उत्तीर्ण कर 9 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर	2000/–	7 वर्ष
2	कक्षा 10वी उत्तीर्ण कर 11वीं कक्षा मे प्रवेश लेने पर	2000/–	5 वर्ष
3	कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक में प्रवेश लेने पर	4000/–	3 वर्ष

परन्तु राज्य सरकार के पत्रांक प0 1 (14) शिक्षा–1/2008 दिनांक 22/7/2008 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत नवीन योजना "नेशनल स्कीम ऑफ इन्सेंन्टिव टू गर्ल्स फॉर सैकण्डरी एज्यूकेशन" प्रारम्भ की जा चुकी है। इस योजना अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की छात्राओं के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को भी 8वीं उत्तीर्ण 9वीं में प्रवेश लेने पर 3000/– रूपये की एफ0डी0आर0 करवाकर लाभान्वित किया जाना है। अतः 8वीं उत्तीर्ण करने पर अब 2000/– रूपये के स्थान पर 3000/– रूपये की एफ0डी0आर0 केन्द्र सरकार द्वारा करवाई जायेगी एवं शेष 10वी एवं 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को पूर्ववत सरकार एफ0डी0आर0 से लाभान्वित करती रहेगी।

10. **अल्प संख्यक समुदाय को प्री–मैट्रिक छात्रवृति :–** बजट घोषण के क्रम में अल्पसंख्य समुदाय के विद्यार्थियो को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति में वित्तीय वर्ष 2009–10 की प्रस्ताव भारत सरकार को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किए गये है :–

वर्ग	नूतन	नवीनीकरण	कुल
मुस्लिम	51253	4297	55550
इसाई	70	09	79
सिख	4048	631	4679
बौद्ध	10	0	10

11. **बालिका प्रोत्साहन राशि :–** माध्यमिक शिक्षा की बालिकाओं के प्रोत्साहन की भारत सरकार की राष्ट्रीय योजनान्तर्गत कक्षा 9 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में 3000/– रूपये की देय एफ0डी0आर0 के प्रस्ताव वर्ष 2009–10 के लिए कुल 15178 छात्राओं के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किए जा चुके है।